

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

पत्रांक 4648622

पटना दिनांक 24/09/2025

ग्रा०वि०-08 लोकपाल (अवधि विस्तार) 03/2025

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निम्न जिलों के निवर्तमान लोकपाल (मनरेगा) जिनके कार्यकाल की दो वर्षीय पदस्थापन अवधि पूरी होने के पश्चात प्रथम एकवर्षीय अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक सप्ताह के अंदर योगदान करने का निदेश दिया जाता है :-

| क्रम | जिला      | नाम                        |
|------|-----------|----------------------------|
| 1    | नालंदा    | श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव |
| 2    | खगडिया    | श्रीमती पुष्पा कुमारी      |
| 3    | समस्तीपुर | श्री अशोक कुमार गुप्ता     |

2. योगदान की तिथि से प्रथम एकवर्षीय अवधि विस्तार प्रभावी होगा ।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

जापांक 4648622

पटना, दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 4648622

पटना, दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, नालंदा, खगडिया, एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 4648622

पटना, दिनांक 24/09/2025

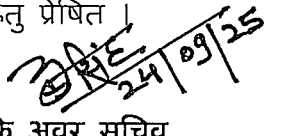
प्रतिलिपि:- संबंधित लोकपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 4648622

पटना, दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव,  
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRIDS /  
आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के अवर सचिव